मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1521 /414/सीसी/12/38 भोपाल, दिनांक 26.10.12

प्रति,

सचिव,
म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
ज्ञान वाटिका वाल्मी रोड,
कलियासोत डेम
एक्सीलेंस कालेज के सामने,
कोलार रोड,भोपाल

विषयः-राज्य सरकार द्वारा नीति विषयक प्रश्नों पर कार्यकारी आदेश जारी करने के संबंध में ।
संदर्भः-जे.पी. युनिवर्सिटी राघोगढ़ जिला गुना के पत्र दिनांक 06.08.12 एवं आईसेक्ट युनिवर्सिटी ,गौहरगंज जिला रायसेन के पत्र दिनांक 17.08.12 एवं ग्वालियर में प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति ।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों की छाया प्रति आपकी ओर प्रेषित कर लेख है कि म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम,2007 की धारा 36(11) के प्रावधान अनुसार नीति विषयक प्रश्नों को विनियामक आयोग कार्यकारी आदेश के रूप में जारी करने हेतु सक्षम है ।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2007 में दिये गये प्रावधान अनुसार विधिवत् रूप से प्रदेश में 10 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो गये है । निजी विश्वविद्यालयों द्वारा यूजीसी अधिनियम,1956 की धारा 2 (एफ) अनुरूप ही कार्यवाही की जाना है । प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों को प्रदेश के पारंपरिक शासकीय विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्यता एवं अंकों के आधार पर नियमानुसार प्रवेश की पात्रता होगी ।

अतः निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही डिग्री /मान्यता एवं अन्य के संबंध में नीतिगत विषयों की अधिसूचना, कार्यकारी आदेश/निर्देश के रूप में जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें ।

(सचिव,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः-उपरोक्तानुसार ।

(एस.के.शर्मा)
अवर सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
भोपाल, दिनांक 26.10.12

पृ. क्रमांक 1522 /414/सीसी/12/38

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष,म.प्र.निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,ज्ञान वाटिका वाल्मी रोड,कलियासोत डेम एक्सीलेंस कालेज के सामने,कोलार रोड,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित संस्था की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय,

26.10.12

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ 2086/61/सीसी/13/अड़तीस, भोपाल, दिनांक 31-8-13

प्रति,

अध्यक्ष,
म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
ज्ञान वाटिका वाल्मी रोड़ कोलार रोड़
भोपाल

विषयः-निजी विश्वविद्यालयों की संघटक इकाई को काउंसलिंग से पृथक करने बाबत्।
संदर्भः-आईटीएम निजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर का पत्र क.151 दिनांक 17.12.11, स्वामी विवेकानंद निजी विश्वविद्यालय, सागर का पत्र क 965 दिनांक 02.02.13 एवं सचिव म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पत्र क. 35 दिनांक 08.01.13

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के तारतम्य में म.प्र.निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007. की धारा 9, 26 एवं 28 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए प्रथम अध्यादेश में दिए गए प्रावधान अनुसार विभागीय कार्यवाही एवं प्राप्त निर्देशानुसार लेख है कि निजी **विश्वविद्यालय म.प्र.निजी विश्वविद्यालय** अधिनियम के तहत् स्थापित है व शासन द्वारा मान्यता, प्राप्त अध्यादेश/परिनियम से संचालित है अतः अपनी संघटक इकाईयों में प्रवेश एवं पाठ्यक्रम संचालन हेतु पूर्णतः सक्षम तथा अधिकृत है, तद्नुसार प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है ।
(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

Bhand 31.8.13
(भगवंती चांदवानी)
अवर सचिव
म0प्र0शासन,उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ.क्रमांक/ 2083/61/सीसी/13/अड़तीस, भोपाल, दिनांक 31-8-13
प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक,मा.मंत्री जी,उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
2. आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय,सतपुड़ा भवन,भोपाल ।
3. ✓ कुलसचिव, स्वामी विवेकानंद निजी विश्वविद्यालय,नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा,सागर एवं आईटीएम निजी विश्वविद्यालय,सिंथौली रेल्वे स्टेशन के सामने, ग्वालियर (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

Bhand 31.8.13
अवर सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

1 Aug 2013

0755-2775768

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क./F-7(9(1)/Coll./2730/2014, भोपाल, दिनांक 7/06/2014

BY SPEED POST

प्रति,

कुलसचिव,
स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय
(प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति)
एन.एच. 26, नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा, जिला सागर (मध्यप्रदेश)

विषय:– शैक्षणिक सत्र 2012-2013 में प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा कराए जाने की अनुमति विषयक ।

सन्दर्भ :– विश्वविद्यालय का पत्र कमांक BPL/044/029, 29/11/2013, पत्र क. 01/SVNU/PM/2013, 12/11/2013, पत्र क. 03/Reg./SVNU/2014, 26/03/2014 .

उपरोक्त विषयान्तर्गत परिषद को सम्बोधित विश्वविद्यालय के सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2012-2013 में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय स्तर से किए जाने बावत चाही गई अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

01. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश पृ.क. एफ. 5-213/2012/1/55, दिनांक 24/09/2012 के माध्यम से विश्वविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2012-2013 के लिए अनुमति प्राप्त सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों एवं स्वीकृत सीट संख्या अनुसार ही प्रवेशित छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा ।
02. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं के पूर्व सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों के नियमानुसार नामांकन की कार्यवाही की जाएगी । नामांकन शुल्क मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार ही छात्रों से प्राप्त किया जावेगा, उससे अधिक नहीं ।
03. जिन छात्रों के नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा किए जाएंगे, उसकी विस्तृत जानकारी / सूची परिषद को पन्द्रह दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
04. विश्वविद्यालय द्वारा नामांकित छात्रों को ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा । परीक्षा शुल्क मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा निर्धारित अनुसार ही छात्रों से प्राप्त किया जावेगा, उससे अधिक नहीं ।
05. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की विस्तृत जानकारी / सूची परिषद को विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के पन्द्रह दिवस के भीतर मध्यप्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
06. **मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाँक 13 जुलाई, 2012** THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDHYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) TRITIYA SANSODHANY ADHINIYAM 2007 **जिसके द्वारा स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय, जिला सागर को यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, में उल्लेखित समस्त प्रावधानों का विश्वविद्यालय प्रबन्धन द्वारा पालन सुनिश्चित किया जाएगा।**
07. सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों के नामांकन एवं उन्हें परीक्षा में सम्मिलित कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रबन्धन की होगी । विश्वविद्यालय प्रबन्धन द्वारा सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों के नामांकन एवं परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी / अनियमितता पाए जाने पर, विश्वविद्यालय को परीक्षाओं के संचालन बावत प्रदत्त अनुमति परिषद द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी तथा इस सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा ।

उप–पंजीयक
म0प्र0 सह–चिकित्सीय परिषद

निरंतर अगले पृष्ठ पर..

(2)

क्र./F-769(1)/Coll./ /2014. भोपाल, दिनांक /06/2014

प्रतिलिपि :-

01. निज सचिव, मान. मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा एवं पदेन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
03. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
05. आयुक्त, सागर संभाग, सागर ।
06. कलेक्टर, जिला सागर ।
07. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, जिला सागर ।

उप-पंजीयक
म0प्र0 सह-चिकित्सीय परिषद

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
डाक क्र. 2730
दि. 7/06/14

SPEED POST
BOOKED UNDER
B. N. P. L. SCHEME
SPEO, ARERA HILLS, BHOPAL-11
SPA No. BHO-10-246........
DATE....................
WEIGHT................

प्रति,

कुलसचिव,
स्वामी विवेकानन्द विश्वविद्यालय
(प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं
समाज कल्याण समिति)
एन. एच 26, नरसिंहपुर रोड़,
सिरोंजा, जिला-सागर (म. प्र.)

प्रापक लिपिक
सह चिकित्सीय परिषद
... भोपाल

EMS SPEED POST
EI 71627465 5IN